न्यायालय वरिष्ठ सिविल जज, रूड़की, जिला हरिद्वार।

मूल वाद संख्या–239/2022

शेर सिंह बनाम श्रीमती बेबी आदि

दिनांक 14.03.2023–

पत्रावली पेश हुई। वाद पुकारा गया। वादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मनमोहन एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री महक सिंह सैनी को प्रार्थना पत्र संख्या 17ग2 अन्तर्गत आदेश 8 नियम 1 व धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता एवं आपत्ति संख्या 24ग2 पर पूर्व तिथि पर सुना जा चुका है। पत्रावली आज आदेश हेतू नियत है।

निस्तारण प्रार्थना संख्या 17ग2 अन्तर्गत आदेश 8 नियम 1 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता एवं आपत्ति संख्या 24ग2

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से प्रार्थना पत्र कागज संख्या 17ग2 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रतिवादिनी संख्या 1 मोटापा से ग्रस्त है, चलने–फिरने में असमर्थ है और बीमार चल रही है। प्रतिवादी संख्या 2 अपनी पत्नी प्रतिवादिनी संख्या 1 की तीमारदारी में व्यस्त होने के कारण समय से अपना जवाबदावा तैयार कराकर दाखिल नहीं कर सके थे, परन्तु अविलम्ब ही जवाबदावा प्रस्तुत कर रहे हैं। अतः प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा जवाबदावा दाखिल करने में हुई देरी को माफ कर जवाबदावा पत्रावली पर दाखिल करने की अनुमति दिये जाने की प्रार्थना की गई है।

वादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा आपत्ति संख्या 24ग2 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रतिवादीगण के द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र के समर्थन में कोई चिकित्सीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त कारणों से प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

सुना तथा पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि वादी द्वारा उक्त वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध बैनामा निरस्तीकरण एवं स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतू योजित किया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 पर समन कागज संख्या 12क2/3 ता

12क2/6 की तामीली दिनांक 23.07.2022 को होना विदित है जिसके उपरांत प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बजरिये विद्वान अधिवक्तागण न्यायालय में उपस्थित हुए, जिनके द्वारा दिनांक 26.07.2022 एवं दिनांक 22.08.2022 को स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 13घ व 16घ प्रस्तुत कर जवाबदावा दाखिल किये जाने हेतू समय की याचना की गई, जो कि न्यायालय द्वारा न्यायहित में स्वीकार किये गये। इसी अनुक्रम में उक्त प्रतिवादीगण द्वारा अग्रिम नियत तिथि दिनांक 24.09.2022 को उपरोक्त प्रार्थना पत्र मय जवाबदावा कागज संख्या 19क1/2 ता 19क1/6 विहित परिसीमा की अवधि के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि उभय पक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य का सम्पूर्ण अवसर प्रदान किए जाने के उपरांत ही वाद का निस्तारण गुण–दोष के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या 17ग2 न्यायाहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

–आदेश–

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का प्रार्थना पत्र संख्या 17ग2 स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का जवाबदावा कागज संख्या 19क1/2 ता 19क1/6 पत्रावली पर ग्रहित किया जाता है। तदानुसार आपत्ति संख्या 24ग2 निस्तारित की जाती है।

पत्रावली वास्ते वाद बिन्दू दिनांक 21.04.2023 को पेश हो।

(राजीव धवन)
वरिष्ठ सिविल जज,
रूड़की, जिला हरिद्वार।